17

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष: मनोज गोयल,

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 80-पीबीआर/2017 विरूद्ध आदेश दि. 29-09-2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद, प्रकरण क्रमांक 25/अपील/2015-16

1-दुर्गादास आत्मज रामनाथ गुर्जर
2-सदाशिव आत्मज रामनाथ गुर्जर
निवासीगण ग्राम गोपालपुरा तहसील खिरकिया
जिला हरदा

विरूद्ध

.....आवेदकगण

शकुनबाई पत्नि रघुवरदयाल पारे
निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील खिरकिया
जिला हरदा

.....अनावेदक

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक--आवेदकगण
श्री दिलीप श्रीवास्तव, अभिभाषक--अनावेदक

** आ दे श **

(आज दिनांक 19/6/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-09-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक के स्वामित्व की कृषि भूमि ग्राम गोपालपुरा स्थित खसरा नम्बर 173/1 रकबा 19 एकड़ की विधिवत् सीमांकन दिनांक 2-6-17 को कराने के उपरांत आवेदक क्रमांक 1 की तरफ 0.820 हेक्टेयर एवं

आवेदक क्रमांक 2 की तरफ 0.040 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया जिसके संबंधमें अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अवैध कब्जाधारियों को बेकब्जा कर कब्जा दिलाये जाने का निवेदन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 18-9-2009 को आदेश पारित कर अनावेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30-6-2010 को आदेश पारित कर प्रकरण तहसीलदार को प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जानेपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 10-2-2011को आदेश पारित कर दोनों अधीनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्त कर प्रकरण वाद बिन्दुओं का निर्धारण कर विधिसंगत आदेश पारित करने हेतु तहसीलदार को प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण पुन:पंजीबद्ध कर प्रकरणमें कार्यवाही करते हुये दिनांक 13-10-14 को आदेश पारित कर अवैध कब्जाधारी आवेदकगण को कब्जा छोडकर अनावेदक को सौंपे जाने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26-6-15 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 29-9-2016 को आदेश अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाले गये तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये विधि के सिद्धांतों की अवहेलना करते हुये पूर्णत: अवैधानिक आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त ने अपने द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व इस तथ्य की ओर भी ध्यान नहीं दिया कि गलत नक्शे के आधार पर अनावेदक द्वारा सीमांकन कराकर विधि विरूद्ध तरीके से आवेदक की भूमि को हडपने की नियत से कार्यवाही की गई है जबकि इस तथ्य की ओर ध्यान देते हुये अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित करना था जो नहीं किया गया है इसलिये अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि

अपर आयुक्त ने अपने आदेश पारित करने के पूर्व इस तथ्य को भी दृष्टि ओझल किया है कि आवेदक की भूमि खानदानी भूमि है जबकि अनावेदक द्वारा 30 वर्ष पूर्व भी अपनी भूमि खसरा नम्बर 173/1 क्रय की है, इस अनुसार भी धारा 250 के प्रावधान आवेदक पर लागू नहीं होते है, उसके बाद भी इन तथ्यों को दृष्टिओझल करते हुये एकपक्षीय रूख अपनाते हुये विवादित आदेश दिनांक 29-9-16 पारित किया है, जो अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यही कहा गया कि तहसीलदार का आदेश 13-10-14 संहिता की धारा 250 के आज्ञापक समस्त प्रावधानों पर विचार कर आदेश पारित किया गया है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस आधार पर निरस्त किया कि बेकब्जा करने की अवधि 2 वर्ष निर्धारित है जिसका परीक्षण किये बिना आदेश पारित किया गया है, जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि सीमांकन की तारीख से दो वर्ष के भीतर आवेदन पेश किया जा सकता है भले ही कब्जा लम्बे समय से रहा हो । इसी कारण अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। उनके द्वारा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि नक्शे में आवेदक क्रमांक 1 की तरफ 0.820 हेक्टेयर व आवेदक क्रमांक 2 की तरफ 0.040 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा दर्शित हो रहा है । तहसीलदार द्वारा कलेक्टर जिला हरदा द्वारा निर्धारित प्रत्येक वाद बिन्दु की विस्तृत समीक्षा कर आदेश पारित किया है जिसमें आवेदकगण को अवैध कब्जा तत्काल छोडने के आदेश दिये गये हैं । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश इस आधार पर निरस्त किया है कि संहिता की धारा 250 के तहत बेकब्जा करने की अवधि 2 वर्ष निर्धारित है । तहसीलदार द्वारा समयसीमा का परीक्षण किये बगैर ही आवेदकगण को बेकब्जा किये जाने के आदेश पारित करने के कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया है, जो उचित नहीं है । अत: अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का अवैधानिक आदेश निरस्त कर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की गई है

इसलिये अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-09-2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर